

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

दायर दि० 1/5/2018
फैसल दि० 1-5-2018

प्रकरण संख्या / 1 / 2018

अनवान
बनाम

श्री भूधारी तहसीलदार
सागवाडा

श्री कन्हैयालाल / डाईया
पटवारी (वादी)

(प्रतिवादी)

वादी श्री कन्हैयालाल / डाईया ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा जहाडा के खाता नम्बर 249/245 जमाबन्दी सं० 2073-76
में अंकित स्वयं/पिता का नाम कुरिया / डाईया पटव

गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम

कन्हैयालाल / डाईया पटवारी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम कन्हैयालाल / डाईया
पटवारी होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा जहाडा की जमाबन्दी संवत 2073-76 के
खाता संख्या 249/245 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम

कुरिया / डाईया पटवारी में संशोधन कर सही नाम कन्हैयालाल
पटवारी दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा